मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 549 /प्रस/मबावि/2016 भोपाल, दिनांक 26 /3/16

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त (म.प्र.)

विषयः– बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेकहोम राशन वितरण व्यवस्था के संबंध में।

प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से की जाती है। एम.पी.एग्रो द्वारा टेकहोम राशन का प्रदाय परियोजना स्तर तक किया जाता है। परियोजना स्तर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक टेकहोम राशन की परिवहन व्यवस्था परियोजना अधिकारी द्वारा की जाती है। हाल ही में परियोजना स्तर पर टेकहोम राशन के दुरूपयोग एवं विक्रय किये जाने की कई गंभीर घटनायें प्रकाश में आई है। इससे प्रतीत होता है कि जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना अधिकारी द्वारा सतत् भ्रमण कर निरीक्षण नहीं किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रो में टेकहोम राशन नियमित रूप से हो इस संबंध में समय समय पर आवश्यक निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिये गये है। कृपया भविष्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेकहोम राशन नियमित रूप से वितरण हो इस संबंध में निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।

1. एम.पी.एग्रो द्वारा परियोजना स्तर पर प्रदायित टेकहोम राशन प्राप्ति के समय भौतिक सत्यापन किया जावे । भौतिक सत्यापन परियोजना अधिकारी,सेक्टर पर्यवेक्षक, भण्डार लिपिक, कलेक्टर द्वारा नामांकित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं टेकहोम राशन परिवहनकर्ता की उपस्थिति में किया जावे तथा निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा तैयार कर, पंचनामा परियोजना स्तर पर संधारित किया जावे। पंचनामा की एक प्रतिलिपि (हार्डकापी) जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जावे, जो बिलों का सत्यापन करते समय पंचनामा से मिलान करके ही सत्यापन करेंगे, साथ ही स्टॉक एवं पंचनामा की फोटो रियल टाईम में तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जावे । भौतिक सत्यापन के उपरांत ही आंगनवाड़ी केन्द्रो हेतु टेकहोम राशन का वितरण प्रारंभ किया जावे। पंचनामा का प्रारूप परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है। उक्त कार्यवाही करने की पूर्ण जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी की रहेगी, दोषी पाये जाने पर परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावें।

2. परियोजना अधिकारी द्वारा खाद्य सामग्री प्राप्त होते ही सामग्री की प्रविष्टी स्टाक पंजी में अनिवार्य रूप से की जावें तथा चालान में भी स्टॉक पंजी क्र./दिनांक दर्ज किया जावें । खाद्य सामग्री प्राप्ति एवं वितरण पंजी का संधारण अनिवार्यतः अपडेट रूप से रखा जावें । चालान में प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर एवं सील स्पष्ट रूप से अंकित की जावे ।

3. टेकहोम राशन का वितरण आंगनवाडी केन्द्रों से आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को प्रत्येक मंगलवार को अनिवार्यतः किया जावें । आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा टेकहोम राशन का वितरण यथासम्भव पोषण सहयोगिनी,पोषण मित्र, बच्चों के पालक,आशा कार्यकर्ता एवं पंच/ सरपंच की उपस्थिति में किया जावें तथा वितरण पंजी में इनके हस्ताक्षर भी लिए जावें, इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा भी तैयार किया जावें। पंचनामा का प्रारूप परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

4. प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र पर स्टॉक पंजी का संधारण व्यवस्थित रूप से किया जावें। परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान नियमित रूप से स्टॉक प्राप्ति/वितरण का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जावें ।

5. जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान परियोजना स्तर/आंगनवाड़ी स्तर पर टेकहोम राशन के भण्डारण का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

26/3/16

(जे.एन. कंसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक/550/प्रस/मबावि/2016 भोपाल, दिनांक– 26/3/16

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना जिला समस्त म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

प्रमुख सचिव, 26/3/16
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट 'अ'

—::पंचनामा का प्रारूप::—

प्रमाणित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना .... जिला .... में आज दिनांक .... को 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं / किशोरी बालिकाओं हेतु एम.पी.एग्रो के माध्यम से चालान क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा निम्नानुसार टेकहोम राशन प्राप्त हुआ है ।

खाद्य सामग्री	प्राप्त संख्या
1. सोया बर्फी	पैकेट
2. आटा बेसन लड्डू........................	पैकेट
3. खिचडी.(महिला).........................	पैकेट
4. हलुआ..	पैकेट
5 .बाल आहार..................................	पैकेट
6. खिचडी.(बच्चे)..............................	पैकेट

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
परियोजना अधिकारी	सेक्टर पर्यवेक्षक	राजस्व विभाग का नामांकित अधिकारी
नाम----------------	नाम--------------	नाम------------------------
		पद------------------------

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
भण्डार लिपिक	परिवहनकर्ता	आम जनता/स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि
नाम--------	नाम-----------	नाम--------------------

परिशिष्ट "ब"

–::पंचनामा का प्रारूप::–

प्रमाणित किया जाता है कि आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम /क्र................................ में आज दिनांक ....को 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे(कुल संख्या) .... गर्भवती/धात्री माताऐं (कुल संख्या) ....टेकहोम राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुई ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, एक पालक, आशा कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह/प्रतिनिधि, पोषण मित्र,पोषण सहयोगिनी एवं पंच/सरपंच की उपस्थिति में निम्नानुसार टेकहोम राशन का वितरण किया गया ।

खाद्य सामग्री	वितरण संख्या
1. सोया बर्फी	पैकेट
2. आटा बेसन लड्डू........................	पैकेट
3. खिचडी.(महिला).........................	पैकेट
4. हलुआ..	पैकेट
5.बाल आहार..................................	पैकेट
6. खिचडी.(बच्चे)............................	पैकेट

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
आ.वा. कार्यकर्ता/ सहायिका	पालक(माता/पिता)	पोषण मित्र/ पोषण सहयोगिनी	सरपंच/प्रतिनिधि

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
आशा कार्यकर्ता	स्व–सहायता समूह/प्रतिनिधि